

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी 2023-पौष 15, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-बी-1-68-2021-2-पांच(01)

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023

यतः राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि राज्य में हेरिटेज मदिरा से सम्बंधित नियम उनके पूर्व प्रकाशन के अध्यक्षीन रहते हुए बनाए जाएँ;

अतएव, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त प्रस्तावित नियमों का प्रारूप, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को, उक्त नियमों के सम्बंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह उन्हें इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर कार्यालय, आबकारी-आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.) में/शासकीय ई-मेल ec.ecogwl@mp.gov.in पर भेज सकते हैं। उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रवृत्त होना.

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम, 2022" है।

(दो) ये नियम हेरिटेज स्पिरिट और हेरिटेज मदिरा के विनिर्माण, निर्यात, परिवहन, मिश्रण, सम्मिश्रण, बोतल भरने, कब्जे, बोतलों पर नामपत्र(लेबल) चिपकाए जाने, विक्रय तथा अन्य संगत मामलों पर लागू होंगे।

(तीन) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(एक) "अधिनियम" से आशय है मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915);

(दो) "सम्मिश्रण" से आशय है उसी हेरिटेज स्पिरिट विनिर्माणी इकाई द्वारा विनिर्मित समान/अलग अलग तीव्रता वाली महुआ आधारित स्पिरिटों को मिलाया जाना; परन्तु अन्य किसी प्रकार की स्पिरिट के साथ मिश्रण अनुमत नहीं होगा।

(तीन) "मिश्रण" से आशय है हेरिटेज स्पिरिट में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित, सुगंधित अथवा कैरेमल/ प्राकृतिक रंग अथवा दोनों पदार्थों को मिलाकर हेरिटेज मदिरा का तैयार किया जाना;

(चार) "हेरिटेज मदिरा" से आशय है अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित बोतलबंद मदिरा;

(पाँच) "हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान" से आशय हैं हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से लगा हुआ ऐसा अनुज्ञप्त परिसर जहाँ अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हेरिटेज मदिरा का स्वाद लेना और विक्रय अनुमत हो;

(छह) "हेरिटेज मदिरा विनिर्माता" से आशय है राज्य के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्त कोई जनजातीय स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.);

(सात) "हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई" से आशय है अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में स्थित कोई विनिर्माणी इकाई जहाँ एक या एक से अधिक पॉट स्टिल के उपयोग से हेरिटेज स्पिरिट या हेरिटेज मदिरा या दोनों का विनिर्माण किया जाता हो, जिसकी कुल क्षमता 2000 लीटर से अधिक की न हो और जिसमें उसी परिसर में बोतल भराई इकाई हो;

(आठ) "हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान" से आशय है ऐसे अनुज्ञप्त परिसर जहाँ अनुमोदित निबंधनों और शर्तों के अनुसार हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय अनुमत हो;

(नौ) "हेरिटेज स्पिरिट" से आशय है हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई द्वारा विनिर्मित प्लेन (सादा) स्पिरिट जो केवल महुआ के फूलों से बनी हो और जिसमें कोई सम्मिश्रण नहीं किया गया है; इसमें पॉट स्टिल्स आसवित स्पिरिट के लिए अधिसूचित खाद्य संरक्षा और मानक (एल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 एवं भारतीय मानक IS 5287:2005 के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तीव्रता और विशिष्टियाँ होंगी;

(दस) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से आशय है इन नियमों में वर्णित अनुज्ञप्तियों से सम्बंधित कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी;

(ग्यारह) "अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र" से आशय है सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के संदर्भ में इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(बारह) "भारसाधक अधिकारी" से आशय है हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई/इकाईयों के सम्बंध में भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई अधिकारी;

(तेरह) "व्यक्ति" में स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) सम्मिलित हैं;

(चौदह) "अनुसूचित जनजाति" से आशय है कोई जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा उस जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग अथवा उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश के संदर्भ में ऐसी जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(पन्द्रह) "स्व-सहायता समूह" से आशय है राज्य के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का ऐसा समूह जो आमतौर पर 10 से 20 तक सदस्यों से मिलकर बना हो, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिला और कम से कम 25 प्रतिशत सदस्य दसवीं कक्षा अथवा उसके

समतुल्य अर्हता प्राप्त हों, तथा एकसमान उद्देश्य के साथ स्वेच्छापूर्वक एक साथ आए हों। स्व-सहायता समूह के सदस्य उस जनपद पंचायत के निवासी होंगे जिसके क्षेत्र के भीतर हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई स्थित हो;

(सोलह) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उन्हें दिये गये हों।

3(1) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई के लिए अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का प्रदान किया जाना.-

(क) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई का निर्माण करने और उसका व्यवसाय करने का आशय रखने वाले स्व-सहायता समूह के द्वारा जिले के कलेक्टर को प्रारूप "एच.एल.-क" में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ इकाई स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

(ख) केवल इन नियमों में यथा परिभाषित स्व-सहायता समूह को ही हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी।

(ग) आवेदन शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

(घ) कलेक्टर का, यदि स्वयं की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण विभाग), जिले का अग्रणी बैंक अधिकारी तथा आबकारी आयुक्त द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ, यदि कोई हो, से मिलकर बनेगी, प्रस्ताव की जाँच पड़ताल और परीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित योजना और आवेदक के प्रत्यय पत्र (योग्यता संबंधी दस्तावेज) के बारे में समाधान हो जाता है तो वह परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हों, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा और अनुमोदन पत्र के रूप में उसे प्रारूप "एच.एल.-ख" में संसूचित करेगा। अनुमोदन, उसे संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा, जब तक कि उसे 6 माह से अनधिक की कालावधि के लिए विशेष रूप से न बढ़ाया जाए। इस कालावधि के भीतर धारक को उपनियम (क) के अधीन प्रस्तुत और अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रकार से निर्माण को पूर्ण करना होगा तथा इकाई को चालू करने के लिए तैयार रखना होगा।

(ङ) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इकाई का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् आवेदक जंहा लागू हो, निम्न अनुमतियाँ प्राप्त करेगा :-

1. FSSAI का पंजीयन प्रमाण पत्र
2. प्रदुषण नियंत्रण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र
3. विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र

4. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र
5. बायलर सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. स्थानीय निकाय की अनापत्ति

आवेदक कार्य पूर्ण हो जाने तथा उपर्युक्त अनुमतियाँ प्राप्त हो जाने के सम्बन्ध में कलेक्टर को सूचित करेगा।

- (च) कलेक्टर, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण करवाएगा-
- (एक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत;
- (दो) सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी;
- (तीन) कार्यपालन यंत्री (लोक निर्माण विभाग);
- (चार) आबकारी आयुक्त द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ (यदि कोई हो)।
- (छ) समिति की समाधानप्रद रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान इकाई द्वारा किये जाने के पश्चात् कलेक्टर, प्रारूप "एच.एल.-1" में हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा। एक स्व-सहायता समूह ऐसी केवल एक ही अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होगा। अनुज्ञप्ति, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए निरन्तर कालावधि के लिए वैध रहेगी।
- (ज) अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के बिना, अपनी अनुज्ञप्ति को गिरवी नहीं रखेगा, उसका विक्रय नहीं करेगा, बन्धक नहीं रखेगा, हस्तान्तरण नहीं करेगा अथवा उसे उप पट्टे पर नहीं देगा।
- (झ) हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई की मूल क्षमता का पूर्ण उपयोग हो चुकने पर क्षमता वृद्धि का आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया जा सकेगा। विनिर्माणी इकाई पूर्ण क्षमता से कार्यरत पाई जाती है तो उसकी क्षमता को अधिकतम 2000 लीटर तक की वृद्धि की अनुमति अनिवार्यतः दी जाएगी।
- (ञ) अनुज्ञप्ति "एच.एल.-1" के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

3(2) सम्मिश्रण, मिश्रण, विनिर्माण, प्रक्रिया तथा नियंत्रण.-

- (क) हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई में स्थापित मशीन उपकरण इत्यादि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाएँगे। कलेक्टर द्वारा उक्त के अंतर्गत ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुमोदित किया जायेगा। स्थापित भवन, संयंत्र तथा मशीनरी में

- किसी प्रकार का परिवर्तन आबकारी आयुक्त की सहमति पश्चात् कलेक्टर की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
- (ख) हेरिटेज स्पिरिट/मदिरा के विनिर्माण से सम्बंधित समस्त कार्य भारसाधक अधिकारी के निरीक्षण के अधीन संचालित होंगे।
- (ग) हेरिटेज मदिरा विनिर्माता हेरिटेज मदिरा के निर्माण हेतु समान/अलग-अलग तीव्रता वाली महुआ आधारित स्पिरिटों का सम्मिश्रण कर सकेगा तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित, सुगंधित अथवा कैरेमल/ प्राकृतिक रंग अथवा दोनों पदार्थों का मिश्रण कर सकेगा।
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किए गए फार्मेट में आधारभूत सामग्री (बेस मटेरियल), मिश्रण पदार्थ, स्पिरिट तथा मदिरा इत्यादि का लेखा रखेगा।
- (ङ) इकाई में विनिर्मित हेरिटेज स्पिरिट/मदिरा रासायनिक विश्लेषण के अध्वधीन होगी। इकाई का भारसाधक अधिकारी ऐसी स्पिरिट/मदिरा का, जो रासायनिक परीक्षण में अशुद्ध/अमानक पाई जाती है, का प्रदाय प्रतिबंधित करेगा। प्रत्येक अवसर पर निर्मित स्पिरिट/मदिरा को अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे जाने के प्रयोजनों के लिए उनके नमूने लिए जाएँगे। यदि वह अवमानक स्तर की अथवा मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाई जाती है तो उसका पुनः आसवन किया जाएगा अथवा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उसे कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश के अधीन विनष्ट कर दिया जाएगा।
- (च) अनुज्ञप्तिधारी इकाई के परिसर में स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी स्वयं की प्रयोगशाला में कम से कम निम्नलिखित परीक्षण किए जाएँगे –
 (एक) महुआ के फूल में आर्द्रता का प्रतिशत
 (दो) महुआ के फूल में शक्कर की मात्रा
 (तीन) सामान्य आभास (गंध/स्वाद और सुगंध/तलछट रहित)
- (छ) विनिर्मित मदिरा के प्रत्येक बैच का प्रदाय दिये जाने से पहले, उससे एक सेम्पल लेकर IS 5287:2005 मानक के अनुसार परीक्षण करना अनिवार्य होगा। मदिरा के प्रत्येक बैच के नमूनों को आबकारी विभाग/ भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) या भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। यदि परीक्षण के परिणाम IS 5287: 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप हों तो ही मदिरा का प्रदाय दिया जायेगा।

IS 5287: 2005 के तहत निम्नलिखित परीक्षण किए जाएँगे:-

1. 20 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल अल्कोहल का वाल्यूम, (प्रतिशत में V/V)
2. वाष्पीकरण पर अवशेष, प्रतिशत (m/v)
3. एसिटिक एसिड के रूप में वाष्पशील एसिड, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
4. एमाइल अल्कोहल के रूप में उच्च अल्कोहल, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
5. मिथाइल अल्कोहल, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
6. एथिल एसीटेट के रूप में कुल एस्टर, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
7. फरफ्यूराल, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
8. एसीटल्डिहाइड के रूप में एल्डिहाइड, (ग्राम/100 लीटर, एब्सोल्यूट अल्कोहल का)
9. कॉपर (मि.ग्रा./लीटर)

- (ज) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार सम्पूर्ण परीक्षण आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित, यादृच्छिक (रैंडम) नमूनों पर किए जा सकेंगे;
- (झ) अनुज्ञप्तिधारी महुआ के फूलों का स्वच्छतापूर्ण तथा स्वास्थ्यकर रूप में प्राप्त करने व उनका भण्डारण करने के लिए प्रबंध करेगा;
- (ञ) इकाई, आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाए रखने तथा स्पिरिट की न्यूनतम अभिप्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ट) अनुज्ञप्तिधारी स्वयं द्वारा निर्मित हेरिटेज स्पिरिट का उपयोग केवल अपनी ही इकाई में हेरिटेज मदिरा के उत्पादन और बोतल भराई के लिए करेगा;
- (ठ) हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की गई प्रक्रिया, मानकों, निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार हेरिटेज मदिरा को परिपक्व (Age) कर सकेगी;
- (ड) हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री आउटलेट अनुज्ञप्ति "एच.एल.-1-क" के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

4. हेरिटेज मदिरा की बोतल भराई.-

- 1) हेरिटेज मदिरा की बोतल भराई विनिर्माणी इकाई के अनुज्ञप्त परिसर में ही अनुमत होगी।
- 2) हेरिटेज मदिरा से बोतलें भरे जाने से सम्बंधित समस्त कार्य भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएँगे।

- 3) बोतलबंद हेरिटेज मदिरा के लिए, नामपत्र (लेबल) पर वर्णित अल्कोहल की तीव्रता में 1 प्रतिशत (v/v) तक अन्तर की गुंजाइश की अनुमति होगी।
- 4) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक बोतल पर नियम 5 के उपनियम (1) में वर्णित समस्त विशिष्टियाँ दर्शाते हुए आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल) चिपकाएगा।
- 5) हेरिटेज मदिरा को 750 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. तथा 90 मि.ली. की क्षमता वाली कांच की बोतलों में बोतलबंद किया जाएगा।
- 6) प्रत्येक बोतल पर एक्साइज एडेसिव लेबल/होलोग्राम चस्पा होगा।
- 7) बोतलें भरे जाने का शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

5. नामपत्रों (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण.-

- 1) हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली समस्त इकाईयों को, उनके द्वारा विनिर्मित अथवा विनिर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित मदिरा के लिए नामपत्रों (लेबल) को आबकारी आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। नामपत्रों (लेबल) में, जिनका कि हेरिटेज मदिरा की बोतलों पर मुद्रित किया जाना तथा चिपकाया जाना अपेक्षित है, न्यूनतम निम्न संकेत वाक्य तथा विवरण हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अन्तर्विष्ट होना चाहिए -
 - (क) शब्द "हेरिटेज महुआ मदिरा" तथा "मध्यप्रदेश".
 - (ख) "पाँट स्टिल द्वारा आसवित"
 - (ग) विनिर्माण किए जाने की तारीख, माह तथा वर्ष.
 - (घ) स्व-सहायता समूह का नाम
 - (ङ) विनिर्माणी इकाई का नाम तथा स्थान.
 - (च) बैच नम्बर.
 - (छ) जिस अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में उत्पादित, उसका नाम.
 - (ज) ब्राण्ड का नाम.
 - (झ) नामपत्र (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.
 - (ञ) न्यूनतम विक्रय मूल्य.
 - (ट) अधिकतम फुटकर मूल्य.
 - (ठ) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.
 - (ड) अल्कोहल की मात्रा (v/v) प्रतिशत में.
 - (ढ) कुल मात्रा मिली लीटर में
 - (ण) मध्यप्रदेश में विक्रय के लिए/निर्यात के लिए.
 - (त) "मदिरा का उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है."
 - (थ) "शराब पीकर वाहन न चलाएँ".
 - (द) आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निदेशित अन्य जानकारी।

- 2) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट संकेत वाक्यों/विवरण को दर्शाने वाले नामपत्रों, जो आबकारी आयुक्त के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हों, से युक्त बोतलें ही मध्यप्रदेश राज्य में बेची जा सकेंगी, उनका परिवहन किया जा सकेगा अथवा मध्यप्रदेश से उनका निर्यात किया जा सकेगा।
- 3) नामपत्र (लेबल) रजिस्ट्रीकरण शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

6. हेरिटेज मदिरा का परिवहन तथा विक्रय.-

(क) हेरिटेज मदिरा का परिवहन प्रारूप "एच.एल.-3" एवं प्रारूप "एच.एल.-4" में अनुमत होगा।

(ख) हेरिटेज मदिरा का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को हेरिटेज मदिरा के डिजायनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, व्यापार-चिह्न, क्रय-विक्रय, वितरण तथा विक्रय के लिए विपणन भागीदारों की सेवाएँ लेने की अनुमति होगी। ऐसे विपणन भागीदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनियाँ या सहकारी इकाइयाँ हो सकेंगे और हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाइयों के साथ भुगतान पर आधारित/राजस्व में हिस्सेदारी के मॉडल पर अनुबंध कर सकेंगे। ऐसे अनुबंधों के निबन्धन एवं शर्तें आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्याधीन कलेक्टर द्वारा अनुमोदित की जाएँगी।

(ग) हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार इकाई के परिसर में स्वाद लेने और विक्रय की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए "एच.एल.-1-क" अनुज्ञप्ति फैक्ट्री फुटकर दुकान (एफ.आर.ओ.) के लिए आवेदन कर सकेगी।

(घ) विनिर्माण करने वाली इकाई की स्वयं की दुकान/फ्रेन्चाइजी दुकान/विपणन भागीदारों की दुकान के माध्यम से हेरिटेज मदिरा का फुटकर विक्रय करने के लिए फुटकर दुकान (आरओ) की अनुज्ञप्ति (एच.एल.-2) कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। हेरिटेज मदिरा के विक्रय की अनुमति शासन द्वारा नीति अथवा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत स्थानों के सिवाय किसी भी अन्य स्थल पर दी जा सकेगी।

(ङ) हेरिटेज मदिरा का विक्रय मदिरा की नियमित देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों/वाइन दुकानों के माध्यम से तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति न दे दी जाए।

(च) ऊपर वर्णित फुटकर दुकानों को हेरिटेज मदिरा का प्रदाय या विक्रय, विनिर्माण करने वाली इकाई/विपणन भागीदार द्वारा सीधे किया जाएगा।

- (छ) हेरिटेज मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जबकि हेरिटेज मदिरा का अधिकतम फुटकर मूल्य, हेरिटेज मदिरा विनिर्माण करने वाली इकाई द्वारा स्वयं विनिश्चित किया जाएगा।
- (ज) हेरिटेज मदिरा का विक्रय एफ.एल.-2, एफ.एल.-2कक, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3क तथा एफ.एल.-4 बार अनुज्ञप्तियों के माध्यम से भी अनुमत होगा। उक्त बार, हेरिटेज मदिरा सीधे विनिर्माणी इकाई से प्राप्त कर सकेंगे।
- (झ) आबकारी आयुक्त, अनुज्ञा प्राप्त फुटकर दुकान /बार को वितरण किए जाने के लिए देशी/विदेशी मदिरा के भाण्डागारों में हेरिटेज मदिरा के भण्डारण हेतु निःशुल्क या सशुल्क अनुमति दे सकेंगे।
- (ञ) "एच.एल.-1-क/एच.एल.-2" का अनुज्ञप्ति शुल्क इन नियमों की अनुसूची-'क' के अनुसार होगा।

7 (1) हेरिटेज मदिरा का निर्यात .-

- (1) केवल बोटलबंद एवं नामपत्र (लेबल) युक्त हेरिटेज मदिरा के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। खुली हेरिटेज मदिरा या हेरिटेज स्पिरिट का निर्यात अनुमत नहीं होगा।
- (2) केवल उन्ही नामपत्रों की हेरिटेज मदिरा के निर्यात की अनुमति होगी, जो इन नियमों के नियम 5 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त के पास पंजीकृत होंगे।
- (3) "एच.एल.-1" अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को निर्यात की अनुमति होगी।
- (4) निर्यातक को शासन द्वारा यथा विनिश्चित विहित निर्यात शुल्क, यदि कोई हो, का अग्रिम भुगतान करना होगा।
- (5) निर्यात की अनुज्ञा प्रदान किए जाने के लिए कलेक्टर अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। आवेदन में आवश्यक विवरण जैसे निर्यातक का नाम, पता, हेरिटेज मदिरा की मात्रा, विवरण तथा उसमें अल्कोहल की तीव्रता, उस इकाई का नाम जहाँ वह निर्यात की जाएगी, नामपत्र (लेबल) का रजिस्ट्रीकरण इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। निर्यातक द्वारा आवेदन के साथ आयात करने वाले जिले के प्राधिकृत आबकारी प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा आयात पास/अनुज्ञा पत्र तथा उस बैच की मदिरा की रसायनिक टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।

- (6) उपनियम (5) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर अथवा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी, आवश्यक जाँच करेगा और यदि इन नियमों में अधिकथित शर्तों का समाधानप्रद रूप में अनुपालन किया गया हो तथा भारसाधक अधिकारी का यह मत हो कि निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह प्रारूप "एच.एल.-5" में अनुज्ञापत्र जारी करेगा।

7(2) हेरिटेज मदिरा के निर्यात की सत्यापन रिपोर्ट का प्राप्त किया जाना.-

निर्यातक, आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उसे उस प्राधिकारी को, जिसने निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किया है, अनुज्ञापत्र की कालावधि का अवसान होने से 25 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यातक ऐसा करने में असफल रहता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विनिश्चित जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु उस दशा में जहाँ कि सत्यापन रिपोर्ट विनिश्चित की गई समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई हो, अधिरोपित किया गया जुर्माना सम्यक् सत्यापन के पश्चात् निर्यातक को वापस कर दिया जाएगा। उस दशा में जहाँ कि भेजा गया माल दुर्घटना ग्रस्त हो गया हो अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा बीच में ही अभिग्रहीत कर लिया गया हो, और वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाया हो तो इस सम्बंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाने पर अधिरोपित किया गया जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि हेरिटेज मदिरा का किसी अन्य देश को निर्यात किया गया है तो मदिरा का निर्यात करने वाला अनुज्ञप्तिधारी यह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि भेजा गया माल देश से बाहर जा चुका है।

8. समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को परिवहन अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करना होगा.-

अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर से अथवा उस तक हेरिटेज मदिरा का परिवहन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी परिवहन अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को परिवहन अनुज्ञापत्र में दी गई समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

वह सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों से, जो लागू हों, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से तथा इस हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों से भी आबद्ध होगा।

9. शास्तियाँ-

- (1) इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्तियों की शर्तों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति की शर्तों, अथवा इन नियमों में से किसी नियम के अथवा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के किन्हीं सुसंगत खण्डों के अथवा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों के किसी भंग अथवा उल्लंघन के लिए; अनुज्ञप्तिधारी पर रूपये 5000/- से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- (2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों, अथवा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के सुसंगत खण्डों अथवा इन नियमों अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के किसी भंग अथवा उल्लंघन पर अधिनियम भी धारा 31 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को ब्लैक लिस्ट भी कर सकेगा।

10. विविध.-

- (1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी समय समर्पित कर सकेगा।
- (2) इन नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएँ विभाग के अधिकृत ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से की जाएँगी।

11. अनुज्ञप्तियों/प्रारूपों की श्रेणियाँ -

- (क) एच.एल.-क :- हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए आवेदन.
- (ख) एच.एल.-ख :- हेरिटेज मदिरा की विनिर्माणी इकाई के लिए अनुमोदन पत्र.
- (ग) एच.एल.-1 :- हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई (एच.एल.एम.यू.) के लिए अनुज्ञप्ति.
- (घ) एच.एल.-1-क :- हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से संलग्न हेरिटेज मदिरा फैक्ट्री फुटकर दुकान (एफ.आर.ओ.) के लिए अनुज्ञप्ति.
- (ङ) एच.एल.-2 :- हेरिटेज मदिरा फुटकर दुकान (आर.ओ.) के लिए अनुज्ञप्ति.
- (च) एच.एल.-3 :- बोटलबंद हेरिटेज मदिरा का हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई से फैक्ट्री फुटकर दुकान /फुटकर दुकान /बार/अन्य विक्रय केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र.
- (छ) एच.एल.-4 :- बोटलबंद हेरिटेज मदिरा का, फैक्ट्री फुटकर दुकान /फुटकर दुकान से बार तथा अन्य विक्रय केन्द्रों तक परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र.

(ज) एच.एल.-5 :- हेरिटेज मदिरा का निर्यात करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र.

अनुसूची- "क"

सरल क्रमांक	शीर्ष	शुल्क (रूपये)	अभ्युक्तियां
1	एच.एल.एम.यू. स्थापित करने के लिए आवेदन शुल्क	1,000	एक बार
2	एच.एल.-1 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (एच.एल.एम.यू.)	5,000	प्रति वर्ष
3	एच.एल.-1-क अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क(एफआरओ)	1,000	प्रति वर्ष
4	एच.एल.-2 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (आरओ)	5,000	प्रति वर्ष
5	बोतल भराई शुल्क	निरंक	--
6	नामपत्र (लेबल) रजिस्ट्रीकरण शुल्क	1,000	प्रति नामपत्र (लेबल)
7	निर्यात शुल्क	निरंक	--
8	परिवहन शुल्क	निरंक	प्रति अनुज्ञा पत्र

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023

क्र. बी-01-68-2021-2-पांच(01).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-68-2021-2-पांच(01), दिनांक 5 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

No. F-B-1-68-2021-2-V-(01)

Bhopal, the 5th January, 2023

Whereas, the State Government is satisfied that the rules should be made in respect of heritage liquor in the State subject to their previous publication;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby publish the draft of said proposed rules for general information and notice is hereby given that any person having any objection/ suggestion in respect of the said rules, may submit them to the office of The Excise Commissioner, Madhya Pradesh, Gwalior (M.P.)/ at official email-ec.ecogwl@mp.gov.in, within 30 days from the date of publication of this notice. After the expiry of the said period, the State Government shall consider the said draft rules.

DRAFT RULES

1. Short title, application, and commencement. –

- (i) These rules shall be called "The Madhya Pradesh Heritage Liquor Rules, 2022".
- (ii) They shall apply to manufacture, export, transport, compounding, blending, bottling, possession, labelling of bottles, sale and other incidental matters of heritage spirit and heritage liquor.
- (iii) These rules shall come into force from the date of publication in the gazette.

2. Definitions. –In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (i) "Act" means the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915);
- (ii) "Blending" means the mixing of Mahua-based heritage spirits of same or different strengths manufactured by the same heritage spirit manufacturing unit. The mixing of any other type of spirit shall not be permitted;
- (iii) "Compounding" means the preparation of heritage liquor by the addition of flavoring or caramel/natural coloring agents or both to heritage spirit as approved by the Excise Commissioner;

- (iv) **“Heritage Liquor”** means **bottled** liquor declared as such by the State Government under Section 4 of the Act;
- (v) **“Heritage Liquor Factory Retail Outlet”** means such licensed premises attached with a heritage liquor manufacturing unit where tasting and sale of heritage liquor is allowed as per approved terms and conditions;
- (vi) **“Heritage Liquor Manufacturer”** means a tribal Self Help Group (SHG) licensed to manufacture Heritage Liquor in the notified tribal area of the state;
- (vii) **“Heritage Liquor Manufacturing unit”** means a manufactory in a notified tribal area with a total capacity of not more than 2000 liters where heritage spirit or heritage liquor or both are manufactured using one or more Pot Stills and having a bottling unit in the same premises;
- (viii) **“Heritage Liquor Retail Outlet”** means such licensed premises where retail sale of heritage liquor is allowed as per approved terms and conditions;
- (ix) **“Heritage Spirit”** means plain spirit manufactured by the heritage liquor manufacturing unit having only Mahua flowers as its base and in which no compounding has been done. It shall have the strength & specifications as specified by the Excise Commissioner on the basis of Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 and Indian Standard IS 5287:2005, notified for Pot Still distilled spirit;
- (x) **“Licensing Authority”** means the officer/officers authorized to perform such functions related to licenses laid down in these rules;
- (xi) **“Notified Tribal Area”** means area notified as such by the government with respect to Madhya Pradesh;
- (xii) **“Officer-in-charge”** means an officer of the Excise Department not below the rank of Sub-Inspector, appointed as officer-in-charge in respect of a heritage liquor manufacturing unit /units;
- (xiii) **“Person”** shall include Self Help Group (SHG);
- (xiv) **“Scheduled Tribe”** means any tribe or tribal community or part of it, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

- (xv) **“Self Help Group”** – means a group of Scheduled Tribe within the notified tribal areas of the state, usually composed of 10-20 members, having at least 50% of its members as women and at least 25% qualified up to 10th standard or equivalent, all voluntarily coming together with a single objective. The members of the SHG shall be residents of the Janpad Panchayat of the area in which the Heritage Liquor Manufacturing Unit is situated;
- (xvi) The words and expressions used but not defined in these Rules, shall carry the meaning assigned to them in the Act or relevant rules made thereunder.

3(1) Grant of license for Heritage Liquor Manufacturing Unit (HLMU) :-

- (a) A Self Help Group (SHG) intending to construct and work a Heritage Liquor Manufacturing Unit shall submit an application to the Collector of the district in Form **"H.L.-A"**. The application shall be accompanied with the Detailed Project Report for setting up the Unit.
- (b) Only Self Help Groups (SHGs) as defined in these rules, shall be eligible for applying for license of Heritage Liquor Manufacturing Unit (HLMU).
- (c) The application fee shall be as per **Schedule-A** of these rules.
- (d) The Collector shall, after scrutiny and examination of the proposal by a Committee chaired by him and consisting of the CEO, Zila Panchayat, the Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer, the Executive Engineer(PWD), the Lead Bank Officer of the district and a subject expert, if any, nominated by the Excise Commissioner, if satisfied with the proposed scheme and credentials of the applicant, accord his approval with changes, if any, and communicate it in the form of a "Letter of approval" in Form **"H.L.-B"**. The approval shall be valid for One year from the date of communication, unless especially extended for a period of not more than 6 months, within which period the holder thereof shall complete the construction in all respects, as per the approved DPR submitted under sub-rule (a) and keep the unit ready for commissioning.

(e) After completion of the construction of the unit as per the approved DPR, the applicant shall obtain the following permissions wherever applicable :-

1. FSSAI Registration Certificate
2. No Objection Certificate from Pollution Control Board
3. Electrical Safety Certificate
4. Fire Safety Certificate
5. Boiler Safety Certificate
6. No objection from the local body

The applicant shall inform the Collector regarding the completion of the work and receipt of the above permissions.

(f) The Collector shall, upon such intimation, get the unit inspected by a committee consisting of:

- (i) Chief Executive Officer, Zila Panchayat
- (ii) Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer
- (iii) Executive Engineer (PWD)
- (iv) Subject expert nominated by the Excise Commissioner (if any)

(g) After receiving the satisfactory report of the committee and payment of license fee by the unit, the Collector shall grant the license for the Heritage liquor Manufacturing Unit in form "H.L.-1", after which the licensee shall be free to start production. One Self Help Group (SHG) shall be entitled to only one such license. The license shall be of a perpetual nature, subject to due observance of the provisions of the Act and these Rules and conditions of the license.

(h) The licensee shall not hypothecate, sell, mortgage, transfer, or sub lease his license other than as approved by the Excise Commissioner.

(i) The licensee may apply to The Collector for the enhancement of manufacturing capacity of the unit after full utilization of original capacity. If the unit is functioning at full capacity, capacity enhancement up to maximum 2000 liters shall mandatorily be given.

(j) The license fee for the license HL-1 shall be as per Schedule-A of these rules.

3(2) Blending, Compounding, Manufacture, Working and Control:-

- (a) The machinery, equipment etc. installed in the heritage liquor manufacturing unit shall be determined by the Excise Commissioner. The DPR shall be approved by the Collector under the above directions. Any alteration in the building, plant or machinery shall be done by the approval of the Collector after getting consent from the Excise Commissioner.
- (b) All operations relating to the manufacture of Heritage spirit/liquor shall be conducted under the supervision of the officer-in-charge.
- (c) Heritage Liquor manufacturer may use Mahua based Heritage spirits of same or different strength for blending and may use flavoring or caramel/natural coloring agents or both as approved by Excise Commissioner for compounding for manufacturing Heritage Liquor.
- (d) The licensee shall keep an account of the base materials, blending agents, spirit and liquor etc. in the formats prescribed by the Excise Commissioner.
- (e) The heritage spirit/liquor manufactured in the unit shall be subject to chemical analysis. Officer-in-charge of the unit shall not permit the issue of spirit/liquor which found impure/substandard in chemical analysis. On every occasion samples of manufactured spirit/liquor will be taken at the cost of the licensee for sending them for purposes of chemical analysis. If found substandard or unfit for human consumption, it will be redistilled or rejected and destroyed under the orders of the Collector or an officer authorized by him.
- (f) The licensee shall establish his own laboratory within the unit premises. At least the following tests shall have to be done by the licensee in his own laboratory :
1. Humidity % in Mahua Flower
 2. Sugar content in Mahua Flower

3. General Appearance (odour/taste and aroma/free from sediments)

(g) A sample from every batch of produced liquor shall have to be tested in accordance with IS 5287: 2005 before it is issued. Initially, the samples from the every batch produced shall be sent to the Excise department's laboratory/FSSAI/BIS approved laboratory for testing. The liquor shall be issued if the test results comply with the requirements prescribed under IS 5287 : 2005.

The following tests shall be conducted under IS 5287: 2005 -

1. Ethyl alcohol content at 20 deg C, (percent by v/v).
2. Residue on evaporation, percent (m/v).
3. Volatile acids as acetic acid, (gm/100 L of absolute alcohol).
4. Higher alcohols as amyl alcohol, (gm/100 L of absolute alcohol).
5. Methyl alcohol, (gm/100 L of absolute alcohol).
6. Total esters as ethyl acetate, (gm/100 L of absolute alcohol).
7. Furfural, (gm/100 L of absolute alcohol).
8. Aldehydes as acetaldehyde, (gm/100 L of absolute alcohol).
9. Copper, (mg/L)

(h) Complete testing as per FSSAI standards may be done on random sampling basis as prescribed by the Excise Commissioner.

(i) The licensee shall make arrangements for sanitized and hygienic procurement and storage of Mahua flowers.

(j) The unit shall be responsible for maintaining such minimum fermentation and distillation efficiency and such minimum recovery of spirit as prescribed by the Excise Commissioner

(k) The licensee shall use the heritage spirit manufactured by him for manufacturing and bottling heritage liquor in his own unit only.

(l) The Heritage Liquor Manufacturing Unit may age the heritage liquor manufactured by it as per process, standards, terms and conditions decided by the Excise Commissioner.

- (m) The license fee for the license "H.L.-1-A" shall be as per Schedule-A of these rules.

4- Bottling of Heritage Liquor. –

- (1) The bottling of Heritage Liquor shall be carried out in the licensed Manufacturing Unit premises only.
- (2) All operations relating to the filling of bottles with Heritage Liquor shall be conducted under the supervision of the officer-in-charge.
- (3) For bottled Heritage Liquor, a deviation margin up to 1%(v/v) from the alcoholic strength mentioned on the label, shall be permitted.
- (4) The licensee shall paste a label, registered with the Excise Commissioner, displaying all the particulars enumerated in sub rule (1) of rule 5, on every bottle.
- (5) Heritage liquor shall be bottled only in glass bottles of capacity 750 ml, 375 ml, 180 ml and 90 ml.
- (6) Excise Adhesive Label (EAL)/Hologram shall be affixed to every bottle.
- (7) The bottling fees shall be as per Schedule-A of these rules.

5-Registration of Labels. -

- (1) All Heritage Liquor Manufacturing Units shall, for each type of liquor that is manufactured or proposed to be manufactured by them, be required to register their labels with the Excise Commissioner. The label should contain at least the following legends and details which shall be required to be printed in Hindi or English language and pasted on the bottles of Heritage Liquor:
 - (a) The words "Heritage Mahua Liquor" and "Madhya Pradesh".
 - (b) "Pot-Still Distilled"
 - (c) Date, Month and Year of Manufacture
 - (d) Name of the Self Help Group (SHG)

- (e) Name and place of Manufactory
- (f) Batch number
- (g) Name of the Scheduled Tribe area where manufactured
- (h) Brand Name
- (i) Registration number of label
- (j) Minimum Selling price
- (k) Maximum Retail price
- (l) FSSAI registration No.
- (m) Alcoholic content in %(v/V)
- (n) Net Volume in ml
- (o) For sale in MP/For Export
- (p) "Consumption of liquor is injurious to health."
- (q) "Don't drink and drive"
- (r) Other information as directed by the Excise Commissioner.

(2) Only such bottles of Heritage Liquor with labels showing legends/details as specified in sub-rule (1), duly registered with the Excise Commissioner may be sold in, transported within or exported from Madhya Pradesh.

(3) Label registration fee shall be as per Schedule-A of these rules.

6- Transport and Sale of Heritage Liquor –

- (a) Transport of Heritage Liquor is permitted in Form- "H.L.-3" and "H.L.-4".
- (b) Heritage Liquor Manufacturing Units shall be allowed to engage Marketing Partners to design, package, brand, market, distribute and sell the Heritage Liquor. Such Marketing Partners may be registered companies or cooperatives who can enter into agreements with the Heritage Liquor Manufacturing Units on a payment based/revenue sharing model. The terms and conditions of such agreements shall be approved by the Collector subject to the guidelines issued by the Excise Commissioner.

- (c) Heritage Liquor Manufacturing Units may apply for "H.L.-1-A" License Factory Retail Outlet (FRO) for providing tasting and selling facility at unit premises as per terms and conditions of the license.
- (d) License H.L.-2 Retail Outlet (RO) shall be issued by the Collector for retail sale of Heritage Liquor through Manufacturing Unit's own outlet/franchisee outlet/marketing partner's outlet. Sale of Heritage Liquor shall be permitted at any location except those disallowed by the Government as per policy or as per provisions of the Act.
- (e) Sale of Heritage Liquor shall not be done through regular FL/CL /Composite Liquor shops/Wine shops unless specifically permitted by the State Government.
- (f) The supply and sale of Heritage Liquor to the above mentioned retail outlets shall be done by the Manufacturing Unit/Marketing partner directly.
- (g) The Minimum Selling Price of Heritage Liquor shall be approved by the Excise Commissioner while Maximum Retail Price of heritage liquor shall be decided by Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (h) Sale of Heritage Liquor shall also be permitted from F.L.-2, F.L.-2AA, F.L.-3, F.L.-3A and F.L.-4 bar licenses. Bars may procure the supply of heritage liquor directly from the heritage liquor of units.
- (i) The Excise Commissioner may permit free/on charge storage of Heritage Liquor at Country/Foreign liquor warehouses for onward distribution to permitted Retail Outlets/ Bars.
- (j) The License fee of H.L.-1-A/ H.L.-2 shall be as per Schedule-A of these rules.

7(1)- Export of Heritage Liquor. –

- (1) Export of only bottled and labelled Heritage Liquor shall be permitted. Export of unbottled Heritage Liquor or Heritage Spirit shall not be permitted.
- (2) Export of only those labels of Heritage Liquor shall be permitted which are registered with the Excise Commissioner under Rule 5 of these rules.
- (3) Licensees having H.L.-1 license may be permitted to export.

- (4) The exporter shall pay in advance, the prescribed export-fee, if any, as decided by the Government.
- (5) Application for grant of export permit shall be made to the Collector or any other officer specially authorised by the Excise Commissioner. The necessary details, for example, the name, address of the exporter, quantity, description and alcoholic strength of the heritage liquor, the unit where it shall be exported, registration number of label etc shall be mentioned in the application. The exporter shall also attach to his application a No-Objection-Certificate or an import pass/permit issued by the authorised excise authority of the importing district and the chemical test report for the batch/batches of the liquor being exported.
- (6) On receipt of an application under sub rule (5), the Collector or authorised excise officer shall make necessary enquiries, if the conditions laid down in these rules have been satisfactorily complied with and officer in-charge is of the opinion that there is no objection to the issuance of the export permit, issue the export permit in form H.L.-5.

7(2)– Securing the Verification Report of Export of Heritage Liquor.–

The exporter shall obtain verification report from the officer in charge of the importing unit and furnish it to the authority who issued the export permit, within 25 days from the expiry of period of permit. If the exporter fails to do so, a fine, as decided by the Excise Commissioner shall be imposed;

Provided that in case the verification report is submitted after the stipulated time period, the imposed fine shall be refunded after due verification, to the exporter. In case the consignment meets with an accident or is seized midway by any authority, and it does not reach the destination, the imposed fine shall not be recovered on submitting documentary evidence for the same;

Provided further that if the heritage liquor is exported to another country, the licensee exporting the liquor shall furnish the documentary evidence that the consignment has left the country.

8. All licensees to obtain Transport Permit. –

"The licensee shall obtain transport permit in the prescribed form, issued by the authorized officer for transporting Heritage Liquor from/to his licensed premises. The licensee shall follow all the conditions given in the transport permit.

He/she shall also be bound by the General License Conditions as applicable, provisions of the M.P. Excise Act, Rules made thereunder, and instructions issued in this behalf by the Excise Commissioner from time to time.

9. Penalties. –

(1) Without prejudice to the provisions of the conditions of the licenses issued under these rules, the Licensing authority may impose upon the licensees a penalty not exceeding rupees 5000/- for any breach or contravention of license conditions, or any of these rules, or the relevant clauses of General License Conditions, or the provisions of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 or rules made thereunder.

(2) The Licensing authority may suspend or cancel the license under section 31 of the Act and may also blacklist the licensee upon a breach or contravention of any of the license conditions, or the relevant clauses of General License Conditions, or of these rules or of the provisions of the Act or of Rules made thereunder.

10. Miscellaneous. –

(1) The licensee may, at any time, surrender his license.

(2) All Processes under these rules shall be carried out through the department's authorized "e-Aabkari" portal.

11. Categories of Licenses/Forms. -

- (a) H.L.-A Application for Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (b) H.L.-B Approval Letter for Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (c) H.L.-1 License for Heritage Liquor Manufacturing Unit(HLMU).

- (d) **H.L.-1-A** License for Heritage Liquor Factory Retail Outlet (**FRO**) attached with Heritage Liquor Manufacturing Unit.
- (e) **H.L.-2** License for Heritage Liquor Retail Outlet (**RO**).
- (f) **H.L.-3** Transport Permit to transport bottled Heritage Liquor from Heritage Liquor Manufacturing Unit to FRO/RO/Bars/Other sale points;.
- (g) **H.L.-4** Transport Permit to transport bottled Heritage Liquor from FRO and RO to Bars and Other sale points.
- (h) **H.L.-5** Transport Permit to export Heritage Liquor.

Schedule-A

Sr No	Head	Fee(Rs.)	Remarks
1	Application fee for setting up H.L.M.U. H.L.-A	1000	One time
2	License fee for H.L.-1 (H.L.M.U.)	5000	One time
3	License fee for H.L.-1-A Factory Retail Outlet (FRO)	1000	Per Annum
4	License fee for H.L.-2 Retail Outlet (RO)	5000	Per Annum
5	Bottling fee	Nil	--
6	Label Registration Fee	1000	Per Label
7	Export fee	Nil	--
8	Transportation fee	Nil	Per Transport Permit

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.